छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

हितवाद परिसर, अवंति विहार, तेलीबांधा, मुख्यालय रायपुर
फोन नं0 0771–4058613, 4066212, 4057257 फैक्स 0771–4066214

क्रमांक/PDS/अनु. स्कंध द्वितीय निविदा/2015–16/673 रायपुर, दिनांक : 23/12/2015

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
चिप्स,
सिविल लाईन रायपुर (छ.ग.)

विषय :– अनुपयोगी स्कंध/सामग्री हेतु द्वितीय निविदा को राज्य शासन के वेबसाईट में अपलोड करने बाबत् ।

जिले में उपलब्ध अनुपयोगी स्कंध/सामग्री (गेहूँ, चना, गीली शक्कर, स्वीपेज शक्कर, राजसात अमृत नमक, स्वीपेज अमृत नमक, छ.ग. नमक, महतारी लईका नमक, पीली मटर दाल, महामाया नमक एवं खाली बारदाना) को द्वितीय निविदा द्वारा विक्रय किया जाना है। निविदा की सूचना एवं निविदा प्रपत्र की प्रति संलग्न है।

कृपया राज्य शासन के वेबसाईट **http://www.cgstate.gov.in** पर संलग्न सूची अपलोड करने का कष्ट करेंगे।

संलग्न :– द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना।

महाप्रबंधक

क्रमांक/PDS/अनु. स्कंध द्वितीय निविदा/2015–16/6731 रायपुर, दिनांक : 23/12/2015

प्रतिलिपि :–

01. नोडल अधिकारी (IT), **मुख्यालय रायपुर** की ओर सूचनार्थ। कृपया राज्य शासन के वेबसाईट में अपलोड करवाने का कष्ट करेंगे।

महाप्रबंधक

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
मुख्यालय–अवंति विहार, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/पीडीएस/अनु. स्कंध निविदा/2015–16/677 रायपुर दिनांक : 23/12/2015

अनुपयोगी स्कंध/सामग्री हेतु द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना

इस निगम के विभिन्न जिलों के प्रदाय केन्द्रों में उपलब्ध अनुपयोगी खाद्यानों/सामग्रियों के विक्रय हेतु क्रेताओं से **दिनांक 22.01.2016 दिन शुक्रवार दोपहर 3.00 बजे तक** निगम मुख्यालय, तेलीबांधा, अवंतिविहार, हितवाद परिसर, रायपुर में निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा इसी दिनांक को **दोपहर 3.30 बजे** निगम मुख्यालय में ही खोला जाएगा। जिलेवार उपलब्ध खाद्यानों/सामग्रियों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

(मात्रा क्विंटल एवं बारदाना नग में)

क्र.	जिला	गेहूं	चना	गीली शक्कर	स्वीपेज शक्कर	राजसात अमृत नमक	स्वीपेज अमृत नमक	CG नमक	ML नमक	पीली मटर दाल	महा माया नमक	खाली बारदाना नग में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	बस्तर	0.00	0.00	0.00	145.35	6261.08	0.00	0.00	9.06	0.00	0.00	0
2	बीजापुर	0.00	0.00	0.00	0.00	299.14	0.00	2.79	1.26	0.00	0.00	106
3	दंतेवाड़ा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	3.39	0.00	0.00	0
4	कांकेर	24.42	0.00	0.00	0.00	67.20	0.00	31.86	13.03	0.00	6.50	0
5	कोण्डागांव	0.00	0.00	0.00	0.00	1896.01	0.00	2.69	2.55	0.00	0.00	0
6	नारायणपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
7	सुकमा	0.00	0.00	0.00	0.00	942.97	0.00	11.06	0.13	0.00	0.00	21
8	बिलासपुर	0.00	0.00	8.63	0.00	8052.49	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1663
9	जांजगीर	0.00	0.00	0.00	0.00	1147.46	0.00	4.50	2.60	8.89	0.00	8046
10	कोरबा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.67	308.25	0.00	0.00	0
11	मुंगेली	0.00	0.00	0.00	51.57	125.53	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00	61
12	रायगढ़	0.00	6.72	0.00	151.08	6315.76	0.00	2.55	7.28	0.00	0.00	40017
13	बालोद	0.00	0.00	0.00	0.00	1462.98	0.00	0.00	0.09	5.30	0.00	956
14	बेमेतरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	1.22	15.48	21.05	0.00	0
15	दुर्ग	0.00	0.00	0.00	0.00	5679.69	0.00	0.00	183.31	4.01	0.00	0
16	कवर्धा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1744
17	राजनांदगांव	0.00	0.00	0.00	185.20	2864.34	0.00	1721.59	69.89	0.00	0.00	0
18	बलौदाबाजार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	87.63	1.00	0.00	11369
19	धमतरी	0.00	0.00	0.00	38.69	0.00	0.00	10.67	0.00	0.00	0.00	0
20	गरियाबंद	7.45	0.00	0.00	0.00	302.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1082
21	महासमुंद	0.00	0.00	0.00	88.85	1431.81	0.00	0.00	60.08	0.00	0.00	10802
22	रायपुर	13.30	0.00	0.00	0.00	8734.76	0.00	1075.74	656.96	0.00	0.00	35102
23	बलरामपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
24	जशपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	42.06	30.00	26.96	0.50	0.00	0.00	24
25	कोरिया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
26	सरगुजा	0.00	0.00	0.00	134.91	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

क्र.	जिला	गेहूं	चना	गीली शक्कर	स्वीपेज शक्कर	राजसात अमृत नमक	स्वीपेज अमृत नमक	CG नमक	ML नमक	पीली मटर दाल	महा माया नमक	खाली बारदाना नग में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	सूरजपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	**2817.34**	0.00	**8.70**	**1.47**	0.00	0.00	0
योग		**45.17**	**6.72**	**8.63**	**795.65**	**48473.59**	**30.00**	**2955.74**	**1422.96**	**40.25**	**6.50**	**110993**

निविदा की शर्तें निम्नानुसार है :–

1. स्कंध सामग्री का विक्रय **"जहाँ है जैसा है"** के आधार पर किया जाना है। संग्रहित मात्रा कम–ज्यादा हो सकती है।
2. दरें भरने के पूर्व इच्छुक क्रेता जिला प्रबंधकों से सम्पर्क कर जिला/केन्द्रों पर संग्रहित स्कंध/सामग्रियों का निरीक्षण कर संतुष्ट होने पर निविदा भरें।
3. इच्छुक निविदाकार बंद लिफाफे में लेटरहेड पर पासपोर्ट साईज स्वप्रमाणित फोटो के साथ दर प्रति क्विंटल तथा खाली बारदाना हेतु प्रति नग दरें प्रस्तुत करें। निविदाकार अनुपयोगी शक्कर एवं नमक की दरों के साथ पैन नम्बर एवं बैंक खाता क्रमांक तथा पैन कार्ड की फोटो प्रति भी अनिवार्यः लगावे।
4. निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी शक्कर (गीली/स्वीपेज) हेतु 200 रू. प्रति क्विंटल, खाद्यान्न (गेहूँ, चना, पीली मटर दाल) हेतु 100 रू. प्रति क्विंटल, नमक (अमृत, महामाया, छत्तीसगढ़ एवं महतारी लईका) हेतु 100 रू. प्रति क्विंटल, स्वीपेज अमृत नमक हेतु 20 रू. प्रति क्विंटल एवं खाली बारदाना हेतु 3 रू. प्रति नग की दर से अमानत राशि जमा करना होगा। अमानत राशि डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के माध्यम से किसी भी राष्ट्रीकृत/शेडूल बैंक का डी.डी. छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि. मुख्यालय रायपुर के नाम से देय होगा। संलग्न करना अनिवार्य है। निर्धारित अमानत राशि के बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. निविदा स्वीकृत होने पर H/1 व H/2 को छोड़कर अन्य निविदाकारों की अमानत राशि निगम द्वारा वापस कर दी जावेगी। H/1 के द्वारा पूर्ण राशि जमा कर अनुबंध करने के उपरांत H/2 की जमा अमानत राशि वापस की जाएगी।
6. दरें स्वीकृत होने पर खाद्यान्नों/सामग्री के मूल्य की समस्त राशि आर.टी.जी.एस. या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निगम में जमा कर 15 दिनों के भीतर खाद्यान्नों/सामग्री का उठाव करना अनिवार्य होगा, निर्धारित अवधि में उठाव नहीं करने पर नियमानुसार निर्धारित भण्डारण शुल्क जमा कराकर पुनः 15 दिवस की समय–सीमा बढ़ाई जायेगी। इसके बाद भी डिलीवरी नहीं लेने पर निविदाकार को सामग्री प्रदाय नहीं कर जमा की गई अमानत राशि को राजसात करने की कार्यवाही की जायेगी।
7. भण्डारित स्कंध/सामग्री की डिलीवरी एक साथ एक तरफ से दिया जायेगा। स्कंध/सामग्री छांट कर प्रदाय नहीं किया जायेगा। डिलीवरी के दौरान अतिरिक्त बारदाने की आवश्यकता होने पर, क्रेता को बारदाने की व्यवस्था स्वयं करना होगा।
8. निविदा स्वीकृत होने पर भण्डारित सामग्री के मूल्य की सम्पूर्ण राशि जिला कार्यालय में जमा कर अनुबंध जिला कार्यालय में किया जायेगा।
9. निगम से स्कंध उठाव के पूर्व क्रय स्कंध को मानव के खाने के लिए उपयोग/विक्रय नहीं किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में शपथ–पत्र देना होगा।
10. निविदा की मात्रा का उठाव करने में होने वाले समस्त व्ययों को क्रेता द्वारा स्वयं वहन किया
11. विक्रय हेतु उपलब्ध सामग्री के मूल्य के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य कर स्वयं क्रेता को देना अनिवार्य होगा।
12. अपवाद स्वरूप सामग्री के उठाव करने में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति निर्मित होने पर उसके निराकरण के लिए प्रथमतः निगम के प्रबंध संचालक व इनके द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा किया जाएगा तथा इनके द्वारा दिया गया निर्णय क्रेता पर बंधनकारी होगा।
13. किसी भी प्रकार के विवादों के लिए न्यायालय क्षेत्र रायपुर (छ.ग.) होगा।
14. किसी भी निविदा/दर को स्वीकृत/अस्वीकृत करने के अंतिम निर्णय का अधिकार प्रबंध संचालक को होगा।

23/12

महाप्रबंधक